भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1899
मंगलवार, दिनांक 04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

रूफटॉप सौर ऊर्जा के लिए राजसहायता में वृद्धि

1899 श्री दिलीप राय:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय की देश में घरेलू उपभोग हेतु कोयला आधारित ऊर्जा और जल विद्युत पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से रूफटॉप सौर ऊर्जा की स्थापना हेतु राजसहायता बढ़ाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना के लिए वर्ष 2024-25, 2025-26 तथा 2026-27 के दौरान ओडिशा राज्य को कितनी निधि आवंटित की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य में लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (घ): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) फरवरी 2024 से 'पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना' (PMSG: MBY) कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का लक्ष्य 75,021 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय के साथ, वित्त वर्ष 2026-27 तक देश भर में एक करोड़ घरों में रूफटॉप सौर (RTS) प्रणाली स्थापित करना है।

पीएमएसजी: एमबीवाई एक मांग-संचालित योजना है, जिसमें देश के सभी आवासीय उपभोक्ता, जिनके पास स्थानीय डिस्कॉम के साथ ग्रिड कनेक्टेड बिजली कनेक्शन है, वह योजना के राष्ट्रीय पोर्टल (www.pmsuryaghar.gov.in) पर आवेदन करके आरटीएस प्रणाली की स्थापना करवाने के लिए योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इस योजना में आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सौर (आरटीएस) संयंत्रों की संस्थापना के लिए बेंचमार्क लागत के 60% तक अधिक केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का प्रावधान है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

आवासीय खंड का प्रकार	**केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)**	**सीएफए (विशेष श्रेणी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)**
आवासीय क्षेत्र (रूफटॉप सौर (आरटीएस) क्षमता का प्रथम 2 किलोवाट पीक या उसका भाग)	30,000 रु. प्रति किलोवाट पीक	33,000 रु. प्रति किलोवाट पीक
आवासीय क्षेत्र (1 किलोवाट पीक की अतिरिक्त आरटीएस क्षमता के साथ या उसके भाग सहित)	18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक	19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक
आवासीय क्षेत्र (3 किलोवाट पीक से अधिक अतिरिक्त आरटीएस क्षमता)	कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं	कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं
समूह आवासीय सोसायटी/आवासीय कल्याण समिति (जीएचएस/ आरडब्ल्यूए) आदि के लिए 500 किलोवाट पीक तक इलेक्ट्रिक व्हिकल चार्जिंग सहित साझा सुविधाओं के लिए (3 किलोवाट पीक प्रति घर की दर से)।	18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक	19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक

इस योजना के तहत कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार आवंटन नहीं किया जाता है और फरवरी 2024 में योजना के शुभारंभ के बाद से, कुल 1,48,646 आरटीएस प्रणाली स्थापित की गई हैं, जिससे 1,49,734 परिवार लाभान्वित हुए हैं और दिनांक 29.07.2026 की स्थिति के अनुसार ओडिशा राज्य में सीएफए के रूप में 714.32 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
